GRIID Organised Workshop on RPwD 2016

Online workshop was organised on Rights of Persons with Disabilities (RPwD)Act 2016 for teaching staff of GRIID special school on 23rd August, 2021. Dr Priti Arun, Joint Director , GRIID, addressed the participants while telling that it is important to have knowledge about RPwD because we are working in this field. Dr R Vani Ratnam , Principal GRIID special school, informed that GRIID is catering to the needs of persons with disability(PwD) by providing various facilities as mentioned in RPwD. Teachers -Dr Hemant Chanderchur and Ms Alpana- were the co-ordinators of the workshop.

Dr Priti Arun , Joint Director, addressing participants

आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, 2016 पर कार्यशाला का आयोजन

दिव्यांग जगत @ चंडीगढ़। राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान (ग्रीड), सेक्टर 31 के द्वारा आज दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (आरपीडब्ल्यूडी एक्ट), 2016 पर एक वर्चुअल कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में विभिन्न स्पेशल एजुकेटर एवं वोकेशनल इंस्ट्रक्टरो ने हिस्सा लिया। इस कार्यशाला का शुभारंभ संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ प्रीति अरुण ने किया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा की इस अधिनियम का ज्ञान सभी शिक्षकों के लिए आवश्यक है। ताकि, वे अभिभावकों तक इससे संबंधित सभी जानकारियां सरलता पूर्वक पहुंचा सकें।

कार्यशाला के रिसोर्स पर्सन डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 को विभिन्न धाराओं का सविस्तार उल्लेख किया और उन्होंने बताया कि वर्तमान में 18 वर्ष तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को अनुकूलित वातावरण में निःशुल्क शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। साथ ही, सामान्य विद्यालयों में समावेशी शिक्षा अनिवार्य है। इसके अलावे दिव्यांग व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्राकृतिक आपदाओं जैसे कोविड-19 इत्यादि की स्थितियों में भी समान सुरक्षा और संरक्षण दिए जाने का प्रावधान है, चुनाव आयोग यह सुनिश्चित करेगी की सभी मतदान केंद्र एवं चुनावी प्रक्रिया से संबंधित सभी सामग्रियां दिव्यांगों के पहुंच के दायरे में हो, दिव्यांगों के लिए सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसमें ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग, एस एल डी, मेंटल इलनेस एवं बहु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।

उन्होंने यह भी बताया कि स्मार्ट सिटी चंडीगढ़ में वर्तमान में पब्लिक सेवाओं को उन्नत बनाने की दृष्टि से चंडीगढ़ के विभिन्न विभागों में दिव्यांगों के अनुकूल पदों की पहचान की करना, सभी विभागों के अधीक्षक एवं सहायकों के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 संबंधित एक दिवसीय प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, स्वतंत्र रूप से राज्य आयुक्त (दिव्यांगजन) की नियुक्ति, विशेष कोर्ट की व्यवस्था करना, समाज कल्याण विभाग के द्वारा विभिन्न योजनाएं एवं सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु पारिवारिक आय में छूट प्रदान करना एवं अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के शुभ अवसर पर चंडीगढ़ के प्रतिभावान दिव्यांगों को पुरस्कृत करना इत्यादि कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

संस्थान के विशेष विद्यालय की प्राचार्य डॉ वाणी रत्नम ने बताया कि हमारे यहां इस अधिनियम से संबंधित लगभग सभी सुविधाएं दिव्यांगों को उपलब्ध कराई जा रही है। हम यहां 18 वर्ष तक के सभी दिव्यांग बच्चों को निःशुल्क विशेष शिक्षा एवं अधिगम सामग्रियां उपलब्ध करा रहे हैं। इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉ हेमंत कुमार चंद्रचूड़ एवं सुश्री अल्पना थे।

News appeared in Divyang jagat, Jaipur

दिव्यांगजन अधिकार पर कार्यशाला

चंडीगढ़। राजकीय बौद्धिक दिव्यांगजन पुनर्वास संस्थान (ग्रीड)-31 ने मंगलवार को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 पर ऑनलाइन कार्यशाला कराई। इसमें विभिन्न स्पेशल शिक्षकों और वोकेशनल इंस्ट्रक्टरों ने हिस्सा लिया। इसका शुभारंभ संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉ. प्रीति अरुण ने किया। कार्यशाला के वक्ता डॉ. हेमंत कुमार चंद्रचूड़ ने बताया कि वर्तमान में 18 वर्ष तक के दिव्यांग विद्यार्थियों को अनुकूलित वातावरण में मुफ्त शिक्षा देने का प्रावधान है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों को जोखिम, सशस्त्र संघर्ष, मानवीय आपात स्थिति और प्रकृतिक आपदाओं जैसे कोविड-19 आदि की स्थितियों में भी समान सुरक्षा और संरक्षण देने का प्रावधान है। ब्यूरो

News Appeared in Amarujala Newspaper

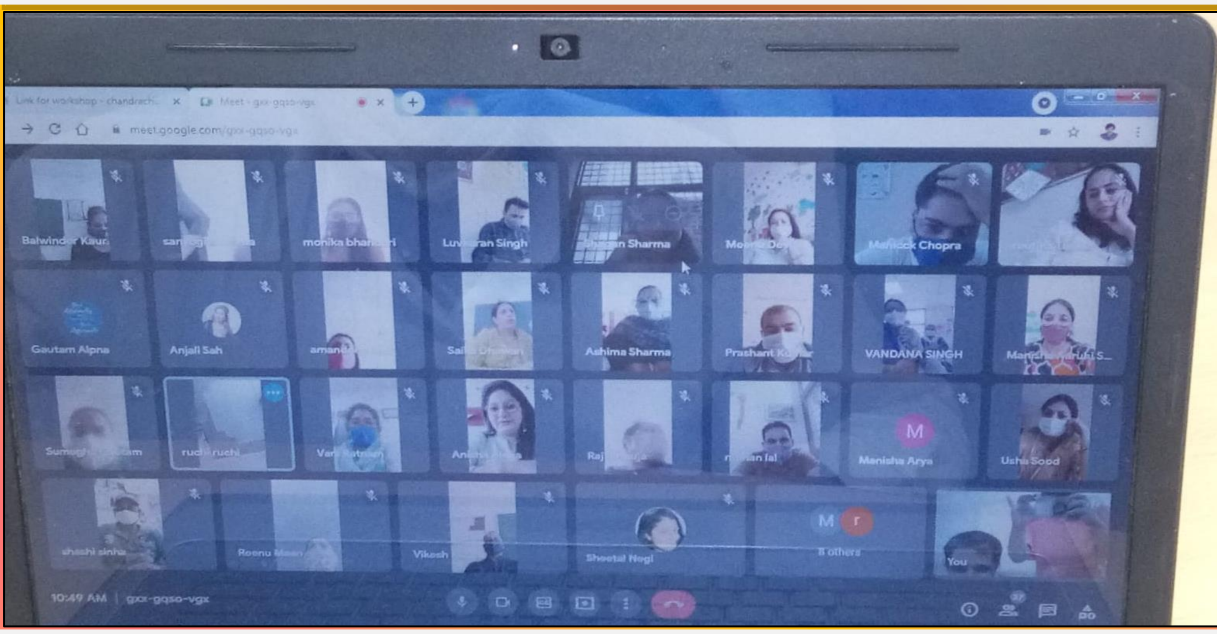

Online View of the Participants